

मैनेजमेंट व स्पॉट सीट पर दाखिला लेने वाले सामान्य छात्रों को नहीं होगी शुल्क की भरपाई

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। निजी विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मैनेजमेंट कोटा या स्पॉट सीट पर प्रवेश लेने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को न तो शुल्क की भरपाई होगी और न ही छात्रवृत्ति मिलेगी। यह प्रावधान इस सत्र से लागू किया गया है। हालांकि, पुराने छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा होने तक योजना का लाभ मिलता रहेगा। इस संबंध में शासन ने एनआईसी को निर्देश जारी कर दिए हैं।

शासन ने वर्ष २०१९ में इस संबंध में जारी नियमावली में कहा था कि यह प्रावधान सत्र २०२०-२१ से लागू होगा। इसके तहत निजी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान में 'मैनेजमेंट कोटा' या 'स्पॉट एडमिशन' सीट पर दाखिला लेने वाले छात्र-छात्राओं

को शुल्क भरपाई नहीं की जाएगी। निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा से दाखिला लेने का प्रावधान है। इन प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से काउंसिलिंग के बिना सीधे प्रवेश (स्पॉट एडमिशन) लेने वाले छात्र मैनेजमेंट कोटे के अंतर्गत आएंगे।

समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार की गद्दलदंडस के अनुसार, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए यह व्यवस्था वर्ष २०१८-१९ से ही लागू है, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए यह योजना चालू सत्र से लागू की गई है। सत्र २०२०-२१ में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वालों पर यह नियम लागू होगा। उस पाठ्यक्रम में पहले से पढ़ाई कर रहे छात्रों को इस सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा।